न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र सं. : 9/2019

1. दिलबर मीणा पुत्र रामफूल मीणा
2. तन्मय मीणा पुत्र रामफूल मीणा

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम सीतापुरा, जैतपुरा खींची, तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये नाबालिक प्राकृतिक संरक्षिका माता ममता मीणा पत्नी रामफूल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम सीतापुरा, जैतपुरा खींची, तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. रामफूल पुत्र महादेव
2. रामचन्द्र पुत्र महादेव
3. जगदीश पुत्र महादेव
4. हरिनारायण पुत्र महादेव
5. नाथी देवी पत्नी महादेव
6. रूघनाथ पुत्र ग्यारसा
7. हनुमान पुत्र भैरू
8. मुरली पत्नी भैरू
9. रामपाल पुत्र गोविन्दा
10. कैलाश चन्द्र पुत्र घासी
11. श्रवणलाल पुत्र घासी
12. रामधन पुत्र छीतर
13. रामकरण पत्नी छीतर
14. सुजादेवी पत्नी छीतर
15. नारायणी पत्नी छीतर
16. रविप्रकाश पुत्र कैलाश
17. विकास पुत्र कैलाश

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.03.24 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

18. सुनिता पत्नी कैलाश

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम सीतापुरा जैतपुरा खींची, तहसील आमेर जिला जयपुर।

19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

20. उप–पंजीयक आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगणगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई नि ोधाज्ञा

उपस्थितः— अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक 22.02.2021

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि ग्राम जैतपुर खींची तहसील आमेर स्थिति राजस्व खाता सं. 198 की भूमि कुल खसरा किता 17 कुल रकबा 2.83 है. व खाता सं. 201 की भूमि कुल खसरा किता 13 कुल रकबा 4.07 है. भूमि प्रार्थी वादीगण के पूर्वज/दादा महादेव पुत्र पांचू मीणा के नाम निहित हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड की दर्ज रही है। उक्त आराजीयात प्रार्थी/वादीगण व अप्रार्थी/प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के संयुक्त कब्जेकाश्त की पैतृक भूमि है। जिसमें प्रार्थी/वादीगण का भी जन्म से हक व अधिकार निहित है तथा प्रार्थी वादीगण अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी वादीगण के दादा अप्रार्थी/प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के पिता प्रतिवादी 5 के पति महादेव पुत्र पांचू की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रार्थी वादीगण एवं अप्रार्थी प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 हैं जिसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज नही हुआ है। पुत्र पांचू का भी पैतृक आराजीयात के हक हिस्सा निहित होने के कारण प्रतिवादी भी जन्म से ही वर्णित विवादित आराजीयात में हिस्सा निहित है। जिसके अनुसार खाता स. 198 [illegible] 3/40 में से 2/3 हिस्सा भूमि व खाता सं. 201 की भूमि के 3/60 भाग में से 2/3 हिस्सा प्रार्थीगण का निहित है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे है, परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 प्रार्थीगण के निहित हक व हिस्से को हडप करना चाहते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.03.24 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

तथा प्रार्थी वादीगण जो नाबालिग है के हितों के विपरित जाकर प्रार्थी वादीगण की प्राकृतिक संरक्षिका माता के सहमति बिना विवादग्रस्त आराजीयात में निहित प्रार्थीगण के हक व हिस्से को भूमि को विक्रय हस्तानान्तरण करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जिसके बाबत निषेदित करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है यदि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि के विक्रय हस्तान्तरण निषेदित नही किया गया तो प्रार्थीगण को उपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई सम्भव नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को फेसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे ग्राम जैतुपरा खींची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 1478 से 1483, 1487 से 1495, 1499, 1500, 1553 से 1565 कुल खसरा किता 30 कुल रकबा 6.90 है. कि विक्रय, हस्तान्तरण ना करे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखे। अप्रार्थीगण द्वारा निरन्तर अवसरों के उपरान्त भी प्रार्थना पत्र के तथ्यों का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया तथा ना ही किसी प्रकार की कोई मान्य आपति अथवा कोई तर्क प्रस्तुत किया गया तथा ना ही बहस टी.आई. हेतु उपस्थित हुये।

जिससे हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी व तथ्यों पर मनन किया प्रस्तुत तथ्यों तर्को व दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीगण के तथ्य उचित प्रतीत होते है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति वादीगण के के पत्र में बखुबी सिद्ध होती है। लिहाजा अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम जैतपुरा खींची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 1478 से 1483, 1487 से 1495, 1499, 1500, 1553 से 1565 कुल खसरा किता 30 कुल रकबा 6.90 है. की रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.03.24 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested